न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 10 /अ-20(3)/2022-23

विषयः- जल जीवन मिशन योजना से प्रभावित हो रही 6.46 हे0 वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भीखाझिरिया तहसील सरई की राजस्व वन भूमियों का अंतरण वन विभाग को किए जाने बावत्।

आदेश

(आज दिनांक 10 जून, 2022 को पारित एवं घोषित)

यह प्रकरण आवेदक महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली के पत्र क्रमांक 76/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2022 दिनांक 19/5/2022 पर संस्थित किया गया है। जिसमें यह दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सिंगरौली जिले के 673 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु 'जल जीवन मिशन योजना' के अंतर्गत गोण्ड देवसर, बैढ़न- 1, बैढ़न- 2 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्रोत से प्रत्येक ग्राम एवं ग्रामों के भीतर घरों तक पाईप लाईन बिछाई जानी है। पाईप लाईन बिछाने का कार्य सड़क के R.O.W., Alignment पर किया जाना है। जिले में वन क्षेत्र की बहुलता होने के कारण पाईप लाईन कई क्षेत्रों में वन क्षेत्र से होकर ले जाया जाना अपरिहार्य है, जिससे वन भूमियां प्रभावित होंगी। यह भी लेख किया गया है कि वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली के पत्र क्रमांक /मा0चि/ 110, 112 दिनांक 6/1/2022 द्वारा गोण्ड देवसर जल प्रदाय योजना में प्रभावित हो रही कुल 6.46 हे0 वन भूमि के बदले गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतरण किए जाने की सहमति दी गई है। उपरोक्त संबंध में तहसील सरई अंतर्गत ग्राम भीखाझिरिया स्थित आराजी क्रमांक 289 अंश रकबा 6.47 हे0 राजस्व वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सतत आपूर्ति के उद्देश्य से संचालित अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना 'जल जीवन मिशन योजना' के क्रियान्वयन हेतु ली जाने वाली वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अन्य शासकीय भूमियॉं उपलब्ध कराए जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत प्रकरण पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, देवसर को प्रस्तावित भूमि के अंतरण हेतु मध्य प्रदेश नजूल निर्वतन निर्देश, 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निदेर्शित किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वतन समिति सिंगरौली के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, देवसर द्वारा जांच उपरांत आवेदित आराजी क्रमांक 289 रकबा 9.15 हेक्टर का अंश रकबा 6.50 हे0 वन विभाग को अंतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 8.6.2022 सम्पन्न जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति की बैठक में प्रस्तावित नजूल भूमि को वन विभाग को अंतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3- प्रकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैं-

क्रमशः

Scanned with CamScanner

प्रकरण क्रमांक 10 /अ-20(3)/2022-23

(1) प्रस्तावित भूमि राजस्व विभाग की है, जिसकी किस्म जमीन 'वन' दर्ज अभिलेख है।

(2) वन परिक्षेत्र अधिकारी, सरई (पश्चिम) के पत्र क्रमांक 905 दिनांक 12/5/2022 जो वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली को सम्बोधित है, की प्रति प्रकरण में संलग्न है। उक्त पत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकरण में अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि अतिक्रमण मुक्त है, वृक्षारोपण योग्य है एवं प्रस्तावित आराजी की पूर्वी व उत्तरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 600 वनखण्ड ताल से लगी हुई है।

(3) वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/मा0चि0/111 व 113 दिनांक 6/1/2022 में लेख किया गया है कि गोड़ देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर पाईप लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है, जिसमें वन मंडल सिंगरौली अन्तर्गत कुल 6.46 हे0 भूमि प्रभावित हो रही है, उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वन भूमि वन विभाग को प्रदाय करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों में यह भी लेख किया गया है कि कृपया यह सुनिश्चित कर लेवें कि उक्त वनभूमि के बदले प्रदान की जा रही गैर वनभूमि वनभूमि सीमा से लगी हो।

(4) चूंकि अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरण हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि वन कक्ष क्रमांक 600 वनखण्ड ताल से लगी हुई है। उपखण्ड अधिकारी, देवसर के प्रतिवेदन एवं अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित आराजी पर महुआ, तेंदू, पलाश व अन्य प्रजाति के लगभग 200 से अधिक पेड स्थित हैं। उक्त दोनों कारणों से वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली के उक्त पत्रों में वर्णित अनुसार प्रस्तावित भूमि वनीकरण हेतु वन विभाग को अन्तरित किया जाना उचित होगा।

(5) प्रस्तावित भूमि पर कोई अतिक्रमण आदि नहीं है। अतएव वनीकरण हेतु उपयोग में लाए जाने में कोई असुविधा भी नहीं होगी।

4- अतएव प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वतन समिति, सिंगरौली द्वारा लिए गए निर्णयानुसार ग्राम भीखाझिरिया तहसील सरई स्थित राजस्व-वन भूमि क्रमांक 289 रकबा 9.15 हेक्टर का अंश रकबा 6.50 हे0 जो नक्शे में लाल स्याही से बटा नंबर 289/2 के रूप में प्रदर्शित है एवं इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 है, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरित की जाती हैं। तहसीलदार, तहसील सरई सिंगरौली या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को अधिपत्य दिलावें एवं संशोधित अभिलेखों सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

10/6/22

(राजीव रंजन मीना)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

प्रकरण क्रमांक 10 /अ-20(3)/2022-23

पृष्ठांकन क्रमांक 40 /अभिलेख पासबुक/22-23 सिंगरौली, दिनांक 10 जून, 2022

प्रतिलिपिः-

1. वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली
2. उपखण्ड अधिकारी/नजूल अधिकारी , देवसर।
3. तहसीलदार, तहसील सरई।
4. महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, म0प्र0 जल निगम मर्यादित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10/6/22

कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-1

नजरी नक्शा

ग्राम- भीखाझरिया
तह०- सरई
पट० हल्का- कोनी-38

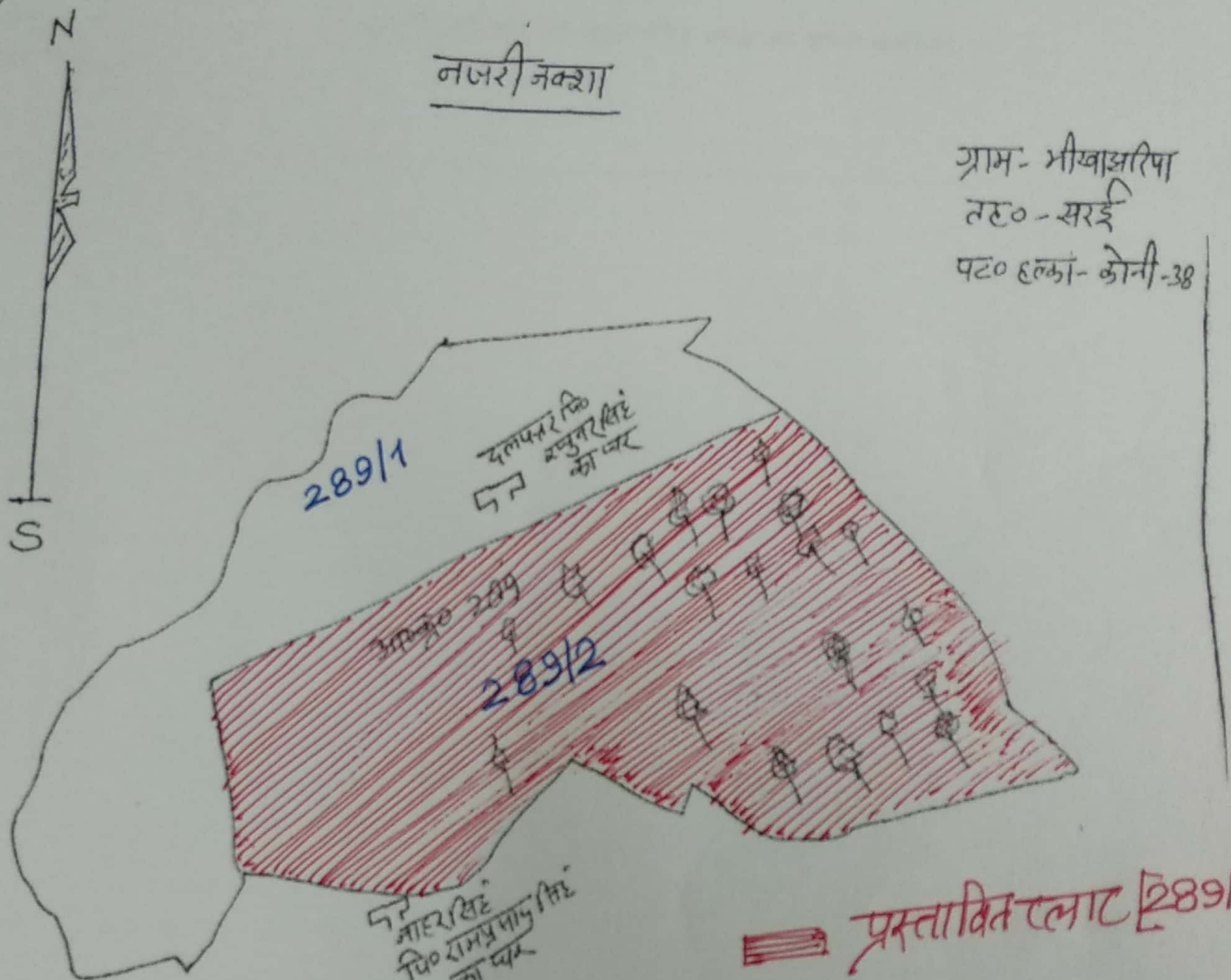

प्रस्तावित प्लाट [289/2]

टीप- लालस्याही से वन भूमि हेतु प्रस्तावित प्लाट।

Collector
Distt. Singrauli (M. P.)

टीप- मौके पे तैयार किया।

प.ह.नं.38
15/05/2022

Scanned with CamScanner